उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-15 10 2002-का-4-2007
लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त .2007
कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि तात्कालिक प्रभाव से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के चपरासी एवं जमादार का पदनाम क्रमशः अनुसेवक एवं वरिष्ट अनुसेवक किये जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप प्रश्नगत पदधारकों के कार्य / दायित्व वेतनमान एवं परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(जे.एस.दीपक) 3/8/07
प्रमुख सचिव

संख्या-15 10 2002(1)-का-4-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 1 2
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 2
7. सचिवालय प्रशासन (अधि.) अनुभाग-4

आज्ञा से,

(वी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव